संख्या-66/2021/2023ई-2/तेरह-2021-233324

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक::01 अक्टूबर, 2021

विषय-मेसर्स सिम्भावली शुगर्स लि. यूनिट-सिम्भावली आसवनी, सिम्भावली, जनपद-हापुड़ की अधिष्ठापित क्षमता 272.72 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 109.088 लाख लीटर से बढ़ाकर 122.724 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी 39/दो-प्रा.डी.-20/सिम्भावली, दिनांक 03.09.2021 तथा इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यध्क्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.09.2021 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त् संख्या-1967ई-2/तेरह-2021-233324, दिनांक 27.09.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 03.09.2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स सिम्भावली शुगर्स लि., यूनिट-सिम्भावली आसवनी, सिम्भावली, जनपद-हापुड़ की अधिष्ठापित क्षमता 272.72 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत स्वीकृत पेय क्षमता 109.088 लाख लीटर से बढ़ाकर की अधिष्ठापित क्षमता का 45 प्रतिशत अर्थात् 122.724 लाख लीटर वार्षिक स्वीकृत किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ की जाती है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी स्थापना) (तेरहवा संशोधन) नियमावली 2019 के नियम-2(5)(ज) एवं (झ)में लगायी गयी शर्तों, अन्य सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाएगा ।

(2) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://hsa.aehu.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।